राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 20/2020 फोरलेन

उनवान

1. श्रीमती आशादेवी पत्नी चेतनप्रकाश अग्रवाल निवासी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थि

बनाम

1. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 6–ए–1 आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड प्रकरण संख्या भूमि अवाप्ति/चारलेन/2019/प्रतिकरण निर्धारण/158 दिनांक 04.12.2019

उपस्थित :– श्री गोपाल अजमेरा–अधिवक्ता प्रार्थिया की ओर से ।
श्री दिनेशचन्द्र बापना – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 की ओर से।
विपक्षी संख्या 2 की ओर से विभागीय प्रतिनिधी।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक : 13.06.2023

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या दो द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधि0 की धारा 3क की उपधारा 1 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमन्द–भीलवाड़ा सेक्शन) के निर्माण (चोड़ा करने/चारलेन बनाने हेतु) अधिसूचना क्रमांक 2329 (अ) दिनांक 28.09.2012 को जारी की गई। जिसके लिए धारा 3 घ के तहत अधिसूचना क्रमांक 2906 (अ) दिनांक 25.09.2013 को प्रकाशित की गई, जिसके तहत प्रार्थी की ग्राम सहाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5751 की आंशिक भूमि को अवाप्त किया गया जिसके संबंध में प्रारम्भिक रूप से अवार्ड दिनांक 25.05.2015 को विपक्षी क्रम 2 द्वारा जारी किया गया, जिसके विरूद्ध श्रीमान् के समक्ष अवार्ड को चुनौती दिये जाने पर श्रीमान् द्वारा अवार्ड निरस्त करते हुए पुनः विपक्षी क्रम–2 को प्रतिप्रेषित कर पुनः मुआवजा निर्धारण का आदेश दिया। श्रीमान् द्वारा प्रतिप्रेषित किये जाने पर विपक्षी संख्या–2 द्वारा दिनांक 30.08.2019 को अवार्ड जारी किया गया, जिसके तहत प्रार्थी को भूमि की कीमत 76,31,422/– रू., सरचनाओं की कीमत रू. 13,36,646/रु., 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिनांक 24.11.2012 से अवार्ड घोषणा तिथि 30.08.2019 तक (6 वर्ष 9 माह 6 दिन या 2470 दिन का) 61,97,133/रू. एवं 100 प्रतिशत सोलेसियम राशि 89,68,068/– रू. कुल 2,41,33,269/– का जारी किया गया।

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 13/2017 निर्णय दिनांक 18.07.2019 द्वारा प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया गया था जिसमें ब्याज राशि बढ़ाने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया था फिर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2019 को संशोधित अवार्ड जारी किया उसमें ब्याज की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत धारा 3 क की उपधारा (1) की अधिसूचना समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक 24.11.2012 से अवार्ड पारित करने की दिनांक 25.05.2015 तक न कर संशोधित अवार्ड पारित करने की दिनांक 30.08.2019 तक कर दी गई जो विधिसम्मत नहीं होने से NHAI की ओर से पत्र क्रमांक 1777 दिनांक 19.11.2019 प्रेषित कर ब्याज की गणना 25.05.2015 तक ही करने का अनुरोध किया गया जिस पर सक्षम प्राधिकारी ने ब्याज बाबत संशोधन करते हुए दिनांक 04.12.2019 को संशोधित अवार्ड जारी कर दिया। ब्याज के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30 (3) में ब्यांज बाबत विस्तृत विवेचना की गई है जो इस प्रकार है—

(3) In addition to the market value of the land provided under section 26, the Collector shall, in every case, award an amount calculated at the rate of twelve percent per annum on such market value for the period commencing on and from the date of the publication of the notification of the Social impact Assessment study under sub-section(2) of section 4, in respect of such land, till the date of the award of the Collector or the date of taking possession of the land, whichever is earlier.

(3) धारा 26 के अधीन उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलक्टर प्रत्येक मामले में उस भूमि की बाबत ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली और कलक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णीत करेगा।

विपक्षी सं. 2 ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया कि उक्त प्रावधान के अनुसार ब्याज दिनांक 25.05.2015 तक ही देय होने से संशोधित अवार्ड दिनांक 04.12.2019 को जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। न्यायालय आप द्वारा प्रकरण सं. 13/2017 निर्णय दिनांक 18.07.2018 में पूर्व पारित अवार्ड दिनांक 25.05.2015 एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 14.06.2016 को अपास्त करते हुए प्रतिकर राशि पुनः निर्धारण करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया है। उक्त आदेश में ब्याज राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया गया है और वैसे भी जवाब की कलम सं 2 में ब्याज बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट की गई है ऐसी स्थिति में प्रार्थिया इस कलम में अंकित ब्याज की राशि 61,97,133/– रू या अन्य कोई राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड सं. 158 दिनांक 04.12.2019 पारित किया गया है, जो विधि अनुसार है और उक्त अवार्ड की राशि जवाबदाता ने सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित भी कर दी है। प्रार्थिया प्रतिकर एवं ब्याज के सम्बन्ध में कोई उजर उठाने की अधिकारिणी नहीं है। अन्त में प्रार्थिया ने जिस अनुतोष की प्रार्थना की हैं, वह नितान्त असत्य एवं आधारहीन होने एवं विधी विपरीत होने से प्रार्थिया कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थिया मय विशेष हर्जे खर्च के खारिज फरमाया जायें।

जिला कलक्टर

इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 13/2017 में गुणावगुण पर जो विस्तृत आदेश दिनांक 18.07.2019 को पारित किया गया वह वैध है और उसकी पालना में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा जो संशोधित अवार्ड दिनांक 30.08.2019 को पारित किया उसी अनुसार प्रार्थिया को मुआवजा व ब्याज मिलना चाहिए था। RFCTLARR Act, 2013 की धारा 80 में ब्याज के संबंध में बताया गया है। धारा 80 इस प्रकार है:–

धारा 80 Payment of interest - When the amount of such compensation is not paid or deposited on or before taking possession of the land, the Collector shall pay the amount awarded with interest thereon at the rate of nine per cent. per annum from the time of so taking possession until it shall have been so paid or deposited : Provided that if such compensation or any part thereof is not paid or deposited within a period of one year from the date on which possession is taken, interest at the rate of fifteen per cent. per annum shall be payable from the date or expiry of the said period of one year on the amount of compensation or part thereof which has not been paid or deposited before the date of such expiry.

इस प्रकार प्रार्थिया सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा जारी संशोधित अवार्ड दिनांक 30.08.2019 में वर्णित ब्याज राशि का मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारिणी है तथा उक्त जारी अवार्ड अनुसार ही ब्याज की राशि प्रार्थिया को मिलनी चाहिये। यह प्रकरण प्रार्थी की भूमि को फोरलेन निर्माण में काम में ले लिये जाने के बावजूद विपक्षीगण सं. 1 व 2 द्वारा उसके मुआवजे में वर्णित ब्याज का भुगतान प्रार्थिया को नहीं किये जाने के संबंध में है जिसके बारे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विनिश्चय करने का पूरा अधिकार इस न्यायालय को है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव–

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

अतः परिवादी प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 13/2017 निर्णय दिनांक 18.07.2019 की पालना में दिनांक 30.08.2019 को जारी संशोधित अवार्ड के उपरान्त, बिना किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त अवार्ड खारिज किये जाने के बाद भी पुनः एक नवीन संशोधित अवार्ड दिनांक 04.12.2019 को जारी कर दिया जो कि विधिक रूप से सही नहीं होने से सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा पारित संशोधित अवार्ड क्रमांक भूमिअवाप्ति/4लेन/2019/ प्रतिकरनिर्धा0/158 दिनांकित 04.12.2019 को अपास्त किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रार्थिया की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित संशोधित अवार्ड दिनांक 30.08.2019 में वर्णित राशि में से प्रार्थिया द्वारा पूर्व में दिनांक 18.02.2020 को प्राप्त कर ली गई राशि को घटाते हुए शेष राशि का ब्याज सहित भुगतान नियमानुसार प्रार्थिया को शीघ्रताशीघ्र करावें।

आदेश आज दिनांक 13.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/6/23

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा